प्रेस नोट
दिनाँकः 29.09.2025
जनपद – गोण्डा

- **थाना परसपुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली छिनैती की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

झूठी सूचना का विवरण-

गोण्डा। दिनांक 27.09.2025 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोटरूगवाल पूरवा मौजा पूरे अंगद निवासी राघवराम पुत्र बाउर चौहान द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि ग्राम राधेपुरवा मौजा बहुवनमदार माझा में दो अज्ञात व्यक्तियों ने सुनीता पत्नी पप्पू साहनी निवासी बमबम पुरवा मौजा बहुवनमदार माझा थाना परसपुर जनपद गोंडा से नाक की कील व गले की मटर माला छीन ली है।
सूचना पर थाना परसपुर पुलिस व उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस सहित 04 टीमों का गठन किया गया।

जाँच के दौरान तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के विश्लेषण, स्थानीय लोगों से पूछताछ तथा वादिनी के बयान में विरोधाभास पाए जाने पर घटना संदिग्ध पाई गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर वादिनी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके साथ छिनैती की कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि क्षेत्र में फैली अफवाहों के आधार पर छिनैती की झूठी कहानी गढ़ी थी। वादिनी की निशानदेही पर उसके घर से नाक की सोने की कील व मटर माला बरामद की गई।
इस प्रकार थाना परसपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में घटना का सफल अनावरण कर झूठी सूचना का खुलासा कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण अपील –

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग नागरिकों को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः कृतसंकल्पित है तथा किसी भी प्रकार की असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक : 29.09.2025
जनपद – गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा छात्राओं से संवाद, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक-

गोण्डा। राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 29.09.2025 को सादिया अरेबिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज, मोफिया सुभागपुर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आत्मरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए कहा कि यह अभियान केवल महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक व्यापक पहल है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्राओं से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, विद्यालय आने-जाने के दौरान होने वाली परेशानियों, छेड़छाड़ अथवा अन्य घटनाओं के बारे में सुझाव लिए और भरोसा दिलाया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देते हुए छात्राओं को इनके उपयोग हेतु प्रेरित किया –

- 112 : आपातकालीन सहायता
- 1090 : महिला हेल्पलाइन (वूमेन पावर लाइन)
- 181 : महिला हेल्पलाइन/महिला सहायता सेवा
- 1930 : साइबर हेल्पलाइन (ऑनलाइन फ्रॉड/साइबर क्राइम की रिपोर्ट हेतु)

उन्होंने छात्राओं को यह भी समझाया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की सूचना हो उसे पुलिस तक पहुँचाने में देर न करें।

साइबर सुरक्षा पर मार्गदर्शन

पुलिस अधीक्षक महोदय ने बदलते समय में साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विशेष बल दिया। उन्होंने छात्राओं को समझाया कि-

- **अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।**
- **सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट या संदेशों से सतर्क रहें।**
- **किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दें।**

अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ***आत्मरक्षा प्रशिक्षण*** की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रा को आत्मरक्षा की तकनीकें सीखनी चाहिए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें और आपात स्थितियों का साहसपूर्वक सामना कर सकें। और यह भी कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि समाज में हर महिला न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि सशक्त होकर समाज निर्माण में सक्रिय योगदान दे सके। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सक्रिय रूप से संवाद में भाग लिया, प्रश्न पूछे और अपने अनुभव साझा किए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने धैर्यपूर्वक उनके सवालों का उत्तर दिया और उन्हें व्यावहारिक जीवन में अपनाए जा सकने वाले सरल उपाय बताए।

इस अवसर पर विद्यालय (मदरसा) प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण, लगभग 600 छात्राएँ, एवं स्थानीय मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 29.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और बेहतर बनाने की दिशा में छात्राओं/महिलाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शोहदों/मनचलों के विरुद्ध अबतक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एंटी रोमियों स्क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहच जनपद के समस्त थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारीगण तथा सभी एन्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कॉलेजों/आंगनबाडियों व गाँव में चौपाल आदि में जाकर फीडबैक फॉर्म छात्राओं व महिलाओं को वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुझाव लिए गए। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिये गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की गयी। जिसके जरिए सभी टीमों को शोहदों/मनचलो द्वारा छात्राओ/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी किये जाने वाले स्थानों की व्यापक जानकारी हुई। छात्राओं/महिलाओं द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सम्बन्धित स्थानों (दुकानों, मॉल, गली मोहल्लों, पार्कों, मन्दिरों व स्कूल/कालेजों) के आस-पास गोण्डा पुलिस की एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मनचलो को पकड़ कर रेड कार्ड निर्गत किया गया तथा चेतावनी दी गयी कि निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दुबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रेड कार्ड पाने वाले शोहदों का पूरा विवरण एंटी रोमियो टीम द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में नोट किया जा रहा है। इसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए थानों में भी सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अवश्यकता पड़ने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अभियान के क्रम में शारदीय नवरात्रि से अबतक जनपद की सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 358 ग्राम/मोहल्ला चौपाल व 171 स्कूल/कालेजों/आंगनबाडियों (कुल 529 स्थानों) पर पंहुचकर छात्राओं/महिलाओं से करीब 21,375 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 315 स्थानों को चिन्हित कर एण्टीरोमियों स्क्वाड द्वारा छात्राओं/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 1023 शोहदों/मनचलों के विरूद्ध रेडकार्ड जारी किया गया। तथा चार प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 29.09.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 किलो 45 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान रेलवे स्टेडियम के निकट पानी की टंकी के पास से अभियुक्त धर्मेन्द्र शिल्पकार पुत्र जगप्रसाद गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 किलो 45 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29-0-2025 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 कामेश्वर राउत मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे इसी दौरान सूचना पर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेडियम के निकट पानी की टंकी के पास से अभियुक्त धर्मेन्द्र शिल्पकार पुत्र जगप्रसाद गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 किलो 45 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 761/2025 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धर्मेन्द्र शिल्पकार पुत्र जगप्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी पटेलनगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 761/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 किलो 45 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा चौकी प्रभारी सेमरा मय हमराह
02. कां० रोहित कुमार गौतम
03. कां0 हरकेश सिंह
04. कां0 राहुल पाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 29.09.2025
जनपद – गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दृष्टिगत थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति एवं एण्टी रोमियो टीम की संयुक्त कार्यवाही में 07 मनचलों को रेड कार्ड जारी किए तथा 07 शोहदों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही-

गोण्डा। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद गोण्डा में निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 29.09.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक थाना धानेपुर के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ मिलकर व्यापक कार्यवाही की गई। निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत थाना धानेपुर क्षेत्र में 07 मनचले अभियुक्तों को धारा 170/126/135 BNSS के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। तथा 07 मनचलों को रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई। महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रदीप यादव पुत्र रामेन्द्र यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी – चिड़ियापुर बिचलेपुरवा, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
2. ओमप्रकाश यादव पुत्र संतराम यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी – गोप्पारपुरवा, मौजा डेबरीकला, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
3. अमित सोनी पुत्र लल्लू, उम्र 23 वर्ष, निवासी – राजागली, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
4. मनोज कुमार यादव पुत्र रंजीत यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी – बजहा हृदयनगर, थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर।
5. संदीप पुत्र रामू, निवासी – कुर्मीयनपुरवा, मौजा उज्जैनीकला, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
6. अरमान पुत्र मोहम्मद अख्तर, उम्र 22 वर्ष, निवासी – करीमनगर, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
7. आमीन पुत्र बाबू, उम्र 20 वर्ष, निवासी – करीमनगर, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार पाण्डेय
3. का0 रविन्द्र यादव
4. हे0का0 कुशहर यादव
5. हे0का0 फहीमुद्दीन खाँ
6. का0 सतेन्द्र पाण्डेय
7. म0का0 उर्मिला गौड़
8. म0का0 अंजली देवी
9. म0आ0 भावना सिंह

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार की छेड़खानी अथवा सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को असुविधा पहुँचाने वाली हरकतें करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक : 29.09.2025

थाना साइबर क्राइम द्वारा पार्ट टाइम जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले चाइनीज गैंग का पैसा भारत में सेटल करने वाले गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार-

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साइबर अपराध थाना गोण्डा श्री सत्य प्रकाश यादव मय टीम द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को बालपुर बाजार के पास से एक अभियुक्त रमेश कुमार विश्नोई पुत्र भागीरथ विश्नोई को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.06.2024 को पीड़िता श्रीमती अनुपा मिश्रा निवासी जय महल कालोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी गई कि व्हाट्सएप पर टास्क कमीशन आधारित पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगों द्वारा पहले छोटे-छोटे रुपये खाते में भेजकर विश्वास में लिया गया और उसके बाद अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर किस्तों में लगभग ₹5,23,000/- (पाँच लाख तेईस हजार) रुपये निवेश कराए गए। जिसे गैंग के सदस्यों द्वारा हड़प लिया गया। थाना साइबर अपराध गोण्डा पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 419, 420, 411 भा0द0वि0 व 66 डी आई.टी. एक्ट पंजीकृत कराया गया था। जिसके जाँच में सामने आया कि यह गैंग कई राज्यों में इसी प्रकार की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साइबर सेल के सहयोग से तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 29.09.2025 को बालपुर बाजार के पास से अभियुक्त रमेश कुमार विश्नोई पुत्र भागीरथ विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना साइबर क्राइम द्वारा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ विवरण -

अभियुक्त रमेश विश्नोई ने पूछताछ में स्वीकार किया कि हमारी गैंग भोले-भाले लोगों से बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंक किट व सिम कार्ड ले लेती है। इन खातों का उपयोग चाइनीज गैंग द्वारा किया जाता है, जिनका ऑफिस कम्बोडिया में है। यह गैंग पार्ट टाइम जॉब व डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी कर पैसा इन्हीं खातों में ट्रांसफर कराता है। इसमें से गैंग 20% कमीशन रखता है और शेष धनराशि से क्रिप्टो करेंसी (USDT) खरीदी जाती है, जिसे चाइनीज गैंग के द्वारा दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रमेश कुमार विश्नोई पुत्र भागीरथ विश्नोई, निवासी - कैसाना थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (राजस्थान)।

बरामदगी -

1. 01 अदद सैमसंग एंड्रॉइड फोन।
2. रु0 5,000/- नगद।
3. 01 अदद एटीएम कार्ड।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 07/2024 धारा- 419, 420, 411 भा0द0वि0 व 66 डी आई.टी. एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्र0नि0 श्री सत्य प्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक, साइबर अपराध थाना, गोण्डा।
2. मु0आ0 मोहन यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा।
3. आ0 आदित्य कुमार शाह, साइबर अपराध थाना, गोण्डा।
4. आ0 अजय कुमार यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा।
5. म0आ0 अर्चना यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा।
6. प्रभारी साइबर सेल गोण्डा मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.09.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू को मौर्य नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को वादी गिरजाशंकर तिवारी पुत्र कृष्ण दत्त तिवारी नि0 ग्रा0 टेंगनहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसका भाई आशुतोष त्रिपाठी तहसील कर्नलगंज से अपनी कार से घर आ रहा था कि वंधिया घाट पुल के पास विपक्षीगणों द्वारा गाड़ी रोककर जानलेवा हमला करते हुए लाठी-डण्डे व फरसें से उसके भाई को मारा-पीटा गया है। जिससे उसके भाई को गम्भीर चोटे आयी है। जिसे जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया है। वादी की तहरीर पर थानाकर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा 03 आरोपी अभियुक्तों को कर्नलगंज पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 09.09.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू को मौर्य नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू पुत्र पारसनाथ मिश्रा नि0 ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. अति0 प्र0नि0 अरविन्द कुमार थाना कर्नलगंज।
02. का0 प्रमोद कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 29.09.2025
जनपद – गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ की गई पैदल मार्च-

गोण्डा। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को सायं 06:00 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जयनारायण चौक से एक भव्य पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च शासन द्वारा दिनांक 22.09.2025 को मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ के दृष्टिगत आयोजित किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्ण रूप से महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ शामिल हुए। इस दौरान रानी बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा करने एवं बाजार में खरीदारी करने आने वाली महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा का आभास कराया गया। बाजार तथा पूजा करने आई उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु पम्पलेट वितरित किए गए। जिसमें महिला हेल्पलाइन नंबर-1090, आपातकालीन नंबर-112, चिकित्सा सहायता नंबर-108, महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क एवं अन्य पुलिस सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आयोजकों से वार्ता कर शासन/प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइनों से अवगत कराया गया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखते हुए परंपरागत ढंग से त्योहार मनाने की अपील भी की गई। नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किये गये है, सजाए गए दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सादे वस्त्रों एवं वर्दी में धार्मिक आयोजनों के आसपास लगातार गश्त की जा रही है। समस्त कार्यक्रम स्थलों व विसर्जन/जुलूस मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर दिया गया है तथा महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। महिला सुरक्षा गोण्डा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने कहा कि "मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल है। हमारा उद्देश्य है कि गोण्डा की हर महिला और बालिका सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने। पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है।"

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी नगर आनन्द कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना व पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।